न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:– 23.11.2020

मुकदमा नं0 1366/2020
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

बत्तीसिंह पुत्र फतोली जाति जाटव निवासी आलावाडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान———————————————————— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार,जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली———प्रतिवादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

उपस्थित :– 1. श्री भरतलाल एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :– 8-9-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 140 व पुराना खाता संख्या 68 के अनुसार आराजीयात खसरा नम्बर 552 रकबा 0.27 है0, 553 रकबा 0.29 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें वादी व वादी के भाई चेतू का 1/2 हिस्सा है और अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से बच्चीसिंह दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम बत्तीसिंह है और यही नाम बत्तीसिंह प्रार्थी का सही है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बच्चीसिंह गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों द्वारादर्ज कर दिया गया है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादी का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी परिचय पत्र में बत्तीसिंह तथा परिवार राशन कार्ड में बत्तीसिंह तथा आधार कार्ड में बत्तीसिंह दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बच्चीसिंह के स्थान पर बत्तीसिंह किये जाने से किसी को कोई हक तलफी किसी प्रकार की नहीं है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि वादी ने पटवारी हल्का से इस बारे में निवेदन किया तो वादी के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करने से वादी को हकतलफी हो रही है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि वादी दिनांक 19.10.2020 को तहसीलदार जी सूरौठ के यहॉं गया और राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत नाम बच्चीसिंह के स्थान पर बत्तीसिंह दर्ज करने को निवेदन किया तो तहसीलदार ने सक्षम अदालत से आदेश लेकर आने को कहा। इस कारण दावा हाजा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि विनाय दावा बहक वादी बिरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 19.10.2020 को वाद पत्र के मद नं010 में वर्णित बात प्रतिवादी द्वारा वादी से कहने से बमुकाम हिण्डौन तहसील हिण्डौन उत्पन्न हुयी है तथा दावा हाजा अन्दर अवधि पेश है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्दाज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर आराजीयात मुतजिका मद नं01 वाद पत्र के अनुसार खाता संख्या नया 140 व पुराना खाता संख्या 68 के अनुसार आराजीयात खसरा नम्बर 552 रकबा 0.27 है0, 553 रकबा 0.29 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन में राजस्व रिकार्ड में जो वादी का नाम बच्चीसिंह दर्ज है उसे डिलीट करते हुए वादी का नाम बत्तीसिंह दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती फरमायी जावे तथा समस्त राजस्व रिकार्ड में बच्चीसिंह के स्थान पर बत्तीसिंह दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती कर दिया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी की ओर [illegible] वा पेश कर जबावदावा में अंकित किया है कि राजस्व [illegible] (6) [illegible] के परिपत्र के अनुसार राजस्व अभिलेखों में काश्तकारों के नाम [illegible]मान सूचक न होने के कारण संशोधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

बाबत् जारी दिशा निर्देशों के अनुसार साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी बत्तीसिंह पुत्र फतोली का राजस्व अभिलेखों में ग्राम आलावाडा के खसरा नम्बर 552,553 किता 2 रकबा 0.56 है0 में दर्ज बच्चीसिंह पुत्र फतोली पर उसके हिस्से अनुसार बत्तीसिंह पुत्र फतोली संशोधित किये जाने में आपत्ति नहीं है।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–75, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 616644787795 बत्तीसिंह पुत्र फतौली निवासी आलावाडा, फोटो प्रति मतदाता परिचय पत्र बतीसिंह पुत्र फतोली निवासी आलावाडा, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 200002892780 बत्तीसिंह पुत्र फतोलीराम निवासी आलावाडा पेश किये हैं।

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है एवं वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.27 है0, 553 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी बच्चीसिंह पुत्र फतोली हि0 1/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 616644787795 बत्तीसिंह पुत्र फतौली निवासी आलावाडा के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता परिचय पत्र बतीसिंह पुत्र फतोली निवासी आलावाडा के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 200002892780 बत्तीसिंह पुत्र फतोलीराम निवासी आलावाडा के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.27 है0, 553 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में बच्चीसिंह पुत्र फतोली हि0 1/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार का नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

रिकार्ड है जबकि वादी के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी सबूज जैसे आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम बत्तीसिंह पुत्र फतोली दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी का सही नाम बत्तीसिंह है, वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम बच्चीसिंह गलत दर्ज हो रहा है। जिसकी वादी इन्द्राज दुरूस्ती कराकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में बच्चीसिंह के स्थान पर बत्तीसिंह दर्ज कराने का अधिकारी साबित हैं। तहसीलदार हिण्डौन ने भी वादी का नाम संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की जाहिर नहीं की है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती खिलाफ प्रतिवादी डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.27 है0, 553 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम आलावाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में बच्चीसिंह पुत्र फतोली के स्थान पर बत्तीसिंह पुत्र फतोली संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8-9-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.10.08 10:39:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner